राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018

www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.8(51)/RSSB/प.आ./विविध–2/2018/779 दिनांकः 05/10/23.

–ःप्रेस नोटः–

बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो कि निम्नानुसार हैः–

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प/गोले दिये जाएंगे जिनमें प्रथम 4 विकल्प/गोले उत्तर से संबंधित तथा पॉचवा विकल्प/गोला अनुत्तरित प्रश्न (Question Not Attempted) से संबंधित होगा।

अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A, B, C, D अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प/गोला को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5 वें विकल्प/गोला Question Not Attempted/अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के लिये एक विकल्प/गोला को भरना अनिवार्य होगा। पॉचों में से किसी भी विकल्प/गोला का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न–अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोला का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। समस्त प्रश्नों में से किसी एक विकल्प/गोला का चयन कर उसे भर दिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर शीट वीक्षक को सौंपनी होगी। वीक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन प्रति को सावधानीपूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देंगे। इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। परीक्षा के अंतिम परिणाम/चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

(संजय कुमार माथुर)
सचिव